प्र0 नि0 47/2016 विविध [illegible] 5
न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11.02.2017	

वकील प्रार्थी उपस्थित नही और ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी कृष्ण कुमार के वकील उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी तहसीलदार साहब टिब्बी के पास विचाराधीन है जो जंगीर सिंह आदि के खिलाफ बेदखली का कर रखा है। जंगीर सिंह आदि पैसै वाले राजनैतिक पंहुच वाले व्यक्ति है स्थानीय निवासी है जिनकी हर तरह से पंहुच व पकड है। प्रार्थी 72 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है अनपढ है। प्रार्थी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उक्त प्रकरण तहसीलदार साहब टिब्बी के यहां चल रहा है। इस न्यायालय से मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नही है। उक्त प्रकरण में तहसील टिब्बी के चक 2 एसआरडब्ल्यू प0नं0 218/272 (36) कि0नं0 8,9,13,14,17 से 22 कुल 2.530 है0 अर्थात 10 बीधा खातेदारी भूमि मेरे नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो जंगीर सिंह वगैरा को ठेका पर दी हुई थी जिस पर कब्जा करने के नियत से व षडयन्त्र पूर्वक हडपने की नियत से मुझे ठेका देना बन्द कर दिया। इस बाबत तहसीलदार साहब टिब्बी के न्यायालय में उक्त प्रकरण लेकर आया जिसकी सुनवाई चल रही है। प्रार्थी का उक्त दावा अन्य किसी तहसीलदार साहब के स्थानान्तरित किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि इस प्रकरण में प्रार्थी का वकील उपस्थित नही आ रहा है और ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित आ रहा है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी कृष्ण कुमार के वकील द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी कृष्ण कुमार अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकार है। प्रार्थी कृष्ण कुमार की ओर से पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का पेश किया है। प्रार्थी कृष्ण कुमार के वकील ने कथन किया कि उसको भी सुना जावे जिस पर प्रार्थी कृष्ण कुमार के वकील को सुना गया। प्रार्थी कृष्ण कुमार के वकील ने बताया कि तहसीलदार टिब्बी के यहां विचाराधीन प्रकरण से संबंधित रकबा के संबंध में एक प्रकरण माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश हनुमानगढ़ में विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी है। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण का स्थानांतरण नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार टीबी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने का कोई आधार नही पाया गया है। ऐसी

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है। हैं। तहसीलदार टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमीन दाखिल दफतर की जावे। आदेश सुनाया गया। जिला कलक्टर हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official